193

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

316(1)

आदेश संख्या :– 1/कोर्ट–05/2013– पटना, दिनांक :– 06-05-2013

आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से दवा क्रय हेतु की जा रही निविदाओं में turn over of the tenderers को कम करने के बिन्दु पर बिहार ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स मेनुफैक्चरर्स एसोसियेशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 3851/2009 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2009 को निम्न आदेश पारित किया गया –

> "The Court is not inclined to interfere with the Notice Inviting Tender and the minimum eligibility criteria laid down therein. But the Court surely gives an opportunity to the petitioner's Association to file their detailed claim with supporting materials before the Chief Secretary, Government of Bihar and the Chief Secretary, Government of Bihar will be obliged to form a committee with the Principal Secretary may be of the Department of Health as well as Industrial Development Commissioner and formulate a policy through which proper encouragement can be given to the local manufacturers in this regard."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विषयांकित वाद में दिनांक 25.11.2009 को पारित आदेश के आलोक में बिहार ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स मेनुफैक्चरर्स एसोसियेशन के द्वारा रीट याचिका में किये गये दावे के निर्धारण तथा नीति के सूत्रण हेतु मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा निम्न रूप से समिति का गठन किया गया है:–

1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग – अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग – सदस्य
3. कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0स0, बिहार – सदस्य सचिव
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार – सदस्य

सदस्य सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार आवेदकों के अभ्यावेदन के निष्पादन हेतु समिति की बैठक आहूत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दो माह के भीतर स्थानीय दवा निर्माताओं को प्रोत्साहन देने हेतु नीति के सूत्रण के लिये समिति की अनुशंसा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ताकि CWJC No. 3851/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.11.2009 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जा सके ।

ह0/- 6/5

(व्यास जी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 1/कोर्ट–05/2013–316(1)/ पटना, दिनांक : 06-05-2013

प्रतिलिपि :–

- मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित ।
- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
- कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0स0, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।
- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।
- सचिव, बिहार ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स मेनुफैक्चरर्स एसोसियेशन को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/- 6/5

सरकार के प्रधान सचिव।